28.05.2024	विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण फूलचन्द उर्फ फुलाराम एवं प्रियंका मय अधिवक्तागण उपस्थित। पूर्व पेशी दिनांक 20.05.2024 को इस प्रकरण में बहस चार्ज अभियुक्त प्रियंका सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना पाया जाना बताते हुए अभियुक्ता प्रियंका के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता प्रियंका ने निवेदन किया कि अभियुक्ता के विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अभियुक्ता प्रियंका द्वारा मानवीयता के नाते अपनी गाड़ी की चाबी अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम को दी गई थी तथा होली के त्योहार पर उसके घर के आंगन में चौके के सामने खून पड़ा हुआ होने के कारण उसके द्वारा खून को पानी डालकर साफ किया गया है, उसमें अभियुक्ता का उक्त अपराध के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना , सामान्य आशय होना प्रकट नहीं होता है.....आदि आदि कथन करते हुए अभियुक्ता प्रियंका को आरोपित अपराध से उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 2013 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 1135 प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अभियुक्ता प्रियंका पर धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध के अन्तर्गत आरोप पत्र पेश किया गया है तथा	

	नतीजे के अनुसार अभियुक्त द्वारा अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम द्वारा गणपतराम की हत्या के पश्चात् अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम को सहयोग कर मृतक गणपतराम की लाश को अभियुक्ता प्रियंका की गाड़ी से जोहड़ी में ले जाकर डाल दिया तथा हत्या में प्रयुक्त बंदुक को भी वहीं डाल दिया तथा तत्पश्चात् कार को स्वयं चलाकर वापस घर आकर घटनास्थल पर पड़े खून आदि को पानी से साफ कर देना पाया गया। इस निष्कर्ष के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत आरोप पत्र की सामग्री को देखें तो पत्रावली पर इस संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध नहीं है। परिवादी बलबीर, जो कि अभियुक्ता प्रियंका का पिता भी है, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का साक्षी है, अपनी लिखित रिपोर्ट में प्रियंका द्वारा फोन कर उसे बुलाना, फुलाराम व गणपत के मध्य होली पर रंग लगाने बाबत् आपस में खींचा तानी होना, फुलाराम द्वारा गणपतराम की बंदुक खींचकर उसे चलाने और बंदुक के चलने से गणपत की छाती में गोली लगना, फिर फुलाराम द्वारा प्रियंका की गाड़ी की चाबी मांगना और गाड़ी में अस्पताल के लिए लेकर जाना बताया है। अभियुक्ता प्रियंका के द्वारा कोई साक्ष्य विलोपन का तथ्य इस साक्ष्य में नहीं है। पत्रावली पर बलबीर के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान दिनांकित 20.03.2022 भी मौजूद हैं, जिसमें भी एफआईआर के तथ्य प्रकट किए गए हैं। धारा 201 भा.दं.सं. के कोई तत्व बयानों में नहीं है। दिनांक 20.03.2022 को ही अभियुक्ता प्रियंका की बहन मीना के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें फूलचन्द द्वारा गणपतराम के बन्दुक की गोली मारने से घर के आंगन के फर्श में कुछ खून फैला होना एवं प्रियंका द्वारा पानी डालकर साफ कर देना प्रकट किया गया है। पत्रावली पर प्रियंका का पूछताछ नोट है, किंतु न्यायालय के विनम्र मत में पूछताछ नोट आरोप पत्र का भाग नहीं होता है। अभियोजन द्वारा आरोप	

	पत्र के साथ पूछताछ नोट किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है, यह न्यायालय की समझ से बाहर है। पत्रावली पर अभियुक्ता प्रियंका की कोई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला नहीं है। गवाह मीना के धारा 161 द.प्र.सं. के अतिरिक्त धारा 164 द.प्र.सं. के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जो न्यायालय द्वारा लिफाफा खोलकर अवलोकन किया गया, जिनमें प्रियंका द्वारा साक्ष्य विलोपित किये जाने के कोई तथ्य प्रकट नहीं किए गए हैं। इसप्रकार पत्रावली पर केवल मात्र मीना के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान ही है, जो यह प्रकट करते हैं कि प्रियंका ने खून के ऊपर मक्खियों के भिन–भिनाने से पानी डालकर साफ कर दिया। इन बयानों की धारा 164 द.प्र.सं. के बयानों में ताईद नहीं की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व में धारा 3 (2)(V) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत तथा धारा 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी। पुलिस द्वारा अब अपने नतीजे में माननीय न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए यह अंकित किया है कि प्रकरण हाजा में गिरफ्तार अभियुक्त प्रियंका नेहरा को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध उचित धाराओं में चालान पेश करने बाबत् मौखिक निर्देश प्रदान किए गए हैं। जबकि माननीय न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 26.10.2023 को अभियुक्ता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर निम्न आदेशिका लेखबद्ध की गई है, जिस पर अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर भी है– *आज श्री सत्यनारायण यादव, आर.पी.एस. पुलिस उप अधीक्षक, एससी/एसटी सैल सीकर जिला सीकर ने मय सी.डी.*	

	पेश होकर एफ आई आर. नम्बर 128/2022 पुलिस थाना सदर सीकर, जिला सीकर (राज.) ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि उन्होंने अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध धारा 302, 201, 34 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया है। किंतु पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध किसी बिनाह/सबूत पर धारा 302 का अपराध घटित होना पाया है लेशमात्र भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यहां तक कि उपस्थित सत्यनारायण यादव आरपीएस का यह कहना है कि यो तो इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी नहीं है। अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी महमूद खां है। न्यायालय को जो भी करना है पत्रावली देख ले इतना लिखने पर उपस्थित सत्यनारायण यादव ने जाहिर किया है उसने ऐसा नहीं कहा। हस्तगत प्रकरण में जिस अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनना बताया गया है उसके संदर्भ में एक भी कोई सबूत उपस्थित सत्यनारायण यादव आरपीएस बताने में असमर्थ है। पिछले आधे घंटे से बार–बार न्यायालय से पत्रावली मांगकर देखने का प्रयास कर रहे है किंतु बता नहीं पा रहे है कि किस बिनाह/सबूत पर 302 भारतीय दंड संहिता जैसे गंभीर अपराध में अभियुक्ता प्रियंका नेहरा की संलिप्तता मानी गई है। स्वयं उपस्थित सत्यनारायण यादव ने पहले यह प्रकट किया है कि उसके खिलाफ केवल 201 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनना पाया है अब थोड़ी देर बाद पुनः उपस्थित आकर जाहिर किया है धारा 201 भारतीय दंड संहिता का नहीं 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध भी अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध बनना पाया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली इस निर्देश के साथ वापस लौटाई जाती है कि अनुसंधान अधिकारी प्रत्येक सबूत के साथ अपना स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करते हुए अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध घटित होने वाले अपराध के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष पत्रावली में दर्ज कर उसे अविलम्ब नियमानुसार समयावधि में न्यायालय के समक्ष आज ही पेश करे।	

	उसके पश्चात् उसी दिनांक को सायं 04.30 बजे न्यायालय द्वारा पुनः अनुसंधान अधिकारी को सुनकर निम्न निर्देश पारित किये गये– *पुनश्च समय 4.30 पीएम पर अभियुक्ता प्रियंका नेहरा को मय सीडी पेश किया जिस पर उन्होंने जाहिर किया कि अब पत्रावली के पुनः अवलोकन से उन्होंने अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध धारा 201, 34 भारतीय दंड संहिता व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया है जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उनसे निम्न प्रश्न पूछे गये–* *प्रश्न 1– क्या आप जानते हैं कि धारा 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध कब गठित होता है?* *उत्तर– अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ जब ऐसा अपराध घटित हो जो भारतीय दंड संहिता के तहत् दस साल की सजा तक का हो।* *प्रश्न 2– अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध आपने भारतीय दंड संहिता का कौन सा अपराध बनना पाया है जो दस साल की सजा से दंडनीय है?* *उत्तर– 302 भारतीय दंड संहिता हत्या के मामलों में सबूत नष्ट किया है ऐसी स्थिति में भले ही इस मुलजिम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता का ऐसा कोई अपराध प्रमाणित नहीं माना है जिसमें दस साल की सजा हो फिर भी इसके खिलाफ धारा 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट की धारा लगेगी।* *बड़े खेद का विषय है कि जब अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध अनुसंधान अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की किसी ऐसी धारा का अपराध नहीं माना है जो दस साल की सजा से दंडनीय हो तब भी न्यायालय हाजा में उपस्थित सत्यनारायण यादव आरपीएस का यह कहना है कि फिर भी अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध धारा 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध बनता है ऐसे अनुसंधान अधिकारी के कानून के ज्ञान पर न्यायालय हाजा को आश्चर्य है कि जब विधि में सुस्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध एससी /एसटी एक्ट की धारा 3(2) (V) का अपराध उसी स्थिति में बनेगा जबकि उसने*	

भारतीय दंड संहिता के तहत् दस साल की सजा से दंडनीय कोई अपराध कारित किया हो और उपस्थित अनुसंधान अधिकारी सत्यनारायण यादव यह मान रहे है कि अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरुद्ध उन्होंने धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं माना है। केवल धारा 201 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित है जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का साक्ष्य विलोपित करने पर सात साल तक के कारावास की सजा से दंडनीय है। तब जब यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अभियुक्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत् दस साल की सजा से दंडनीय कोई भी अपराध अनुसंधान अधिकारी ने प्रमाणित नहीं माना है तब ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का अपराध कैसे प्रमाणित माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में पत्रावली इस निर्देश के साथ वापस लौटाई जाती है कि अनुसंधान अधिकारी प्रत्येक सबूत के साथ अपना स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करते हुए अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरुद्ध घटित होने वाले अपराध के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष पत्रावली में दर्ज कर उसे अविलम्ब नियमानुसार समयावधि में न्यायालय के समक्ष आज ही पेश करे।

उक्त दोनों ही निर्देशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रियंका के विरूद्ध आरोप पत्र पेश करने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा प्रत्येक सबूत के साथ अपना स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करते हुए अभियुक्ता प्रियंका नेहरा के विरूद्ध घटित होने वाले अपराध के संबंध में अपना निष्कर्ष पत्रावली पर दर्ज कर उसे नियमानुसार समयावधि में न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश देते हैं। न्यायालय द्वारा यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि प्रियंका के विरूद्ध आरोप पत्र ही पेश किया जावे। अतः आरोप पत्र में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश , अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) न्यायालय के मौखिक निर्देश का अवलम्ब लेना भी न्यायालय को गुमराह करने की श्रेणी में आता है।

प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र का अवलोकन करें, तो आरोप पत्र में विशिष्ट लोक अभियोक एससी/एसटी की कानूनी समीक्षा रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध की बहुत कमजोर साक्ष्य होने व सारभूत साक्ष्य का अभाव होना प्रकट किया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रियंका इस प्रकरण की एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी थी, जो अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम के विरूद्ध आरोपित अपराध की सम्पूर्ण जानकारी रखती थी, किंतु पुलिस द्वारा उसे ही इस प्रकरण में धारा 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त के रूप में शामिल कर लिया गया है। प्रियंका के बयान अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. भी पत्रावली पर मौजूद हैं, किंतु उनमें उसके द्वारा खून की सफाई करने का कोई तथ्य नहीं है। पुनश्चः यदि उसके बयानों को भी आरोप पत्र का आधार रखा जावे तो धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत उसके द्वारा किए गए बयान उसके विरूद्ध संस्वीकृति के रूप में तब तक नहीं पढे जा सकते हैं, तब तक ऐसी संस्वीकृति के संबंध में उसे मजिस्ट्रेट द्वारा चेतावनी नहीं दे दी गई हो। प्रकरण में प्रियंका को धारा 164 द.प्र.सं. के तहत कोई चेतावनी नहीं दी गई है, अतः उसके बयानों को उसकी संस्वीकृति के रूप में भी नहीं पढा जा सकता है।

धारा 201 भा.दं.सं. निम्न प्रकार उपबंधित करती है–

" जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तिला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।"

यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 201 के अन्तर्गत एक्टस रियस, जहां साक्ष्य का विलोपन है, वहीं मैन्स रिया अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने का आशय है। प्रकरण में यदि पुलिस की इस बात पर विश्वास कर भी लिया जाए कि अभियुक्ता द्वारा मृतक का खून पानी से साफ कर दिया गया था, तो भी पत्रावली पर प्रथम दृष्ट्या ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कृत्य इस आशय के साथ किया गया था कि अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम को उसके कृत्य के लिए दण्ड से बचा लिया जावे।

प्रकरण में आरोप पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पुलिस येन–केन–प्रकारेण अभियुक्ता को दोषी मानने पर तुली हुई थी तथा माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) के सबूत के साथ निष्कर्ष पेश करने के निर्देश एवं विशिष्ट लोक अभियोजक की नकारात्मक राय के बावजूद बिना किसी स्पष्ट दुराशय की साक्ष्य के अभियुक्ता के विरूद्ध सेशन विचारणीय अपराध का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) के समक्ष प्रकरण के तथ्यों से अनभिज्ञता तथा गोलमाल जवाब भी अनुसंधान अधिकारी की कार्यवाही को प्रश्नगत करता है।

यह प्रकरण पुलिस के अनुसंधान के तरीके पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है तथा इस सामाजिक धारणा का भी स्पष्टीकरण देता है कि क्यों भारत का आम नागरिक Good samaritan के रूप में पुलिस की कार्यवाही में शामिल होने तथा अपराधी के विरूद्ध साक्ष्य देने से बचता है। इस प्रकरण में अभियुक्ता प्रियंका द्वारा घटना घटित होने के तुरन्त पश्चात् अपने पिता को घटना की सूचना दे दी। विधि की पालना करने वाले सद्भाविक नागरिक की तरह प्रियंका एवं उसके पिता द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस

द्वारा दिनांक 18.03.2022 को ही लाश की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बना लिया गया। इसके बावजूद जिस स्थान पर घटना घटित हुई, उसका नक्शा मौका 2 दिन पश्चात् अर्थात् दिनांक 20.03.2022 को बनाया गया। यहां यह महत्वपूर्ण है कि जिस दिन घटना घटित हुई, वह होली का त्योहार का दिन था तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार घटनास्थल जहां पर अभियुक्त फुलचन्द द्वारा मृतक गणपतराल के गोली मारी गई, वह स्थान परिवादी बलबीर के घर के बरामदे में ठीक उनके चूल्हे के सामने होना प्रकट किया है। त्योहार के दिन परिवादी के चौके में खून पड़ा हुआ होना तथा उस पर मक्खियों का भिन–भिनाना, ऐसी स्थिति है, जब एक ग्रामीण परिवेश का सामान्य व्यक्ति पुलिस द्वारा घटनास्थल की सुरक्षार्थ कोई निर्देश नहीं दिये जाने की स्थिति में अपनी सामान्य प्रज्ञा से कार्य करते हुए खून को साफ करने का कार्य सद्भाविक रूप से कर सकता है। पत्रावली में कहीं भी अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम का तथा अभियुक्ता प्रियंका का किसी प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना या सामान्य आशय के अग्रसर में कार्य करना प्रकट नहीं हुआ है।

अतः उक्त समस्त विवेचन से पत्रावली पर कोई प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य ऐसी प्रकृति की नहीं है, जिससे अभियुक्ता प्रियंका के विरूद्ध धारा 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को, यदि अभियुक्ता द्वारा अपनी प्रतिरक्षा न की जाए, तो अभियोजन द्वारा साबित किया जा सके।

फलतः अभियुक्ता प्रियंका नेहरा पुत्री बलबीर सिंह पत्नी मनोज कुमार निवासी नेहरों की ढाणी तन सिहोट छोटी थाना सदर सीकर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्ता के नियमित उपस्थिति

	बाबत् पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 28.06.2024 को पेश हो। **(सत्यप्रकाश सोनी)** अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, सीकर (राज.)	